

## प्रेस नोट थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर दिनांक 29.01.2025

गोतस्करी का अपराध कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त का 01 अदद मोटर साइकिल कीमत लगभग 45 हजार रूपये की सम्पत्ति को जब्त किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में, जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 390/24 धारा 2(b)(xi)(XVii)3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सहजनवा से संबंधित अभियुक्त हरिराम पासवान द्वारा गोतस्करी का अपराध कारित कर अर्जित की गयी अवैध संपत्ति को नायब तहसीलदार भानु प्रताप सिंह मय राजस्व टीम व थानाध्यक्ष हरपुर बुदहट मय पुलिस टीम की मौजूदगी में उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। जब्त की गयी संपत्ति अनुमानित कीमत लगभग 45 हजार रूपये है। अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

### अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

हरिराम पासवान पुत्र बाबूलाल पासवान निवासी दरघाट थाना हरपुर बुदहट जापद गोरखपुर

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 58/20 धारा 188,269,270 भादवि थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 154/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 156/23 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 390/24 धारा 2(b)(xi),2b(xv),3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

### कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

01 अदद मोटर साइकिल

### कार्यवाही में शामिल टीम-

1. नायब तहसीलदार भानु प्रताप सिंह तहसील सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 आलोक कुमार सिंह थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर
4. कां0 सुधाकर यादव थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर
5. कां0 जयप्रकाश यादव थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर